

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2247] No. 2247] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2014/कार्तिक 12, 1936

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2014/KARTIKA 12, 1936

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसुचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2813(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना सं. का.आ. 359, दिनांक 30 मार्च, 1988 में दिनांक 15 नवम्बर, 2014 से निम्नलिखित संशोधन करता है:—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) खंड (क) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः
 - "(क) प्रधान महानिदेशक, आयकर, प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर महानिदेशक, आयकर (जांच), मुख्य आयुक्त, आयकर (केंद्रीय), महानिदेशक, आयकर (आई एंड सी आई) तथा मुख्य आयुक्त, आयकर (छूट) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीनस्थ होंगे।
- (ii) खंड (क) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत:—
 - "(कक) महानिदेशक या मुख्य आयुक्त प्रधान महानिदेशक, आयकर या प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर के अधीनस्थ होंगे जिनके क्षेत्राधिकार के भीतर वे अपने कार्य करेंगे।"
- (iii) खंड (ख) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:
 - "(ख) प्रधान निदेशक या निदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या आयुक्त (अपील) प्रधान महानिदेशकों या महानिदेशकों या प्रधान मुख्य आयुक्तों या मुख्य आयुक्तों के अधीनस्थ होंगे जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे अपने कार्य करेंगे।
- (iv) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाएगा, नामत:—

4350 GI/2014 (1)

"स्पष्टीकरणः—

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए-

(i) महानिदेशक, आयकर (जांच), मुख्य आयुक्त, आयकर (केंद्रीय) और महानिदेशक आयकर (आई तथा सी आई) मुख्य आयुक्त, आयकर (छ) कार्मिक और सतर्कता मामलों में संबंधित प्रादेशिक क्षेत्रों या क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर को रिपोर्ट करेंगे। "

यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 56/2014/फा.सं.187/30/2014-आयकर नि. I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

टिप्पणीः भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 30 मार्च, 1988 की मूल अधिसूचना सं. का.आ. 359 और का.आ. 229 दिनांक 21 मार्च, 1996 द्वारा बाद में संशोधित।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

(INCOME-TAX) NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2014

- **S.O. 2813(E).---**In exercise of the powers conferred by section 118 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following further amendments to the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), (Central Board of Direct Taxes), number S.O. 359, dated the 30th March, 1988 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, sub-section (ii) with effect from 15th day of November, 2014, namely:— In the said notification,—
 - (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(a) Principal Directors General, Principal Chief Commissioners, Directors General of Income-tax (Investigation), Chief Commissioners of Income-tax (Central), Director General of Income-tax (I and CI) and Chief Commissioner of Income-tax (Exemption) shall be subordinate to the Central Board of Direct Taxes";
 - (ii) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(aa) Directors General or Chief Commissioners shall be subordinate to Principal Director Generals or Principal Chief Commissioners within whose jurisdiction they perform their functions";
 - (iii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(b) Principal Directors or Directors or Principal Commissioners or Commissioners or Commissioners (Appeals) shall be subordinate to the Principal Directors General or Directors General or Principal Chief Commissioners or Chief Commissioners within whose jurisdiction they perform their functions;"
 - (iv) after the proviso, the following explanation shall be inserted, namely:—
 - **Note :** Directors General of Income-tax (Investigation), Chief Commissioners of Income-tax (Central) and Director General of Income-tax (I and CI) and Chief Commissioner of Income-tax (Exemption) shall report to the Principal Chief Commissioner of Income-tax of the respective territorial areas or region for personnel and vigilance matters".

[Notification No. 56/2014./F. No. 187/30/2014 (ITA. I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

Note: The Principal notification No. S.O. 359, dated the 30th March, 1988 was published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India (Extraordinary), dated the 30th March, 1988 and subsequently amended *vide* S.O. 229(E), dated the 21st March, 1996.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2814(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) तथा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 881 (अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2001, जिसे दिनांक 14 सितम्बर, 2001 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (іі) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई तथा करने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतदद्वारा:-

- (क) निर्देश देता है कि एतिशमन संलग्न अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त, जिनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कालम 3 में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थान पर है उक्त अनुसूची के कालम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूक्षेत्र में तथा उक्त अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों के सभी मामलों के संबंध में उक्त अनुसूची के कालम (6) में विनिर्दिष्ट सभी शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों का निर्वहन करेंगे।
- (ख) इस अधिसूचना में संदर्भित आयकर आयुक्तों को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वे अपने अधीनस्थ अपर आयकर आयुक्तों या संयुक्त आयकर आयुक्तों को लिखित में आदेश जारी करके शिक्त प्रदान कर सकते हैं कि वे उक्त अनुसूची के कालम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूक्षेत्र या व्यक्तियों की श्रेणियों या आय या आय की श्रेणियों या मामलों या मामलों की श्रेणियों के बारे में अपर आयकर आयुक्त या संयुक्त आयकर आयुक्त की शिक्तियों का प्रयोग और उनके कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं।
- (ग) उक्त अधिसूचना के उपवाक्य (ख) में संदर्भित अपर आयकर आयुक्तों या संयुक्त आयकर आयुक्तों को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वे लिखित आदेश जारी करके अपने अधीनस्थ आकलन अधिकारी को उक्त ऐसे क्षेत्र या व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों या आय या आय की श्रेणियों या मामलों या मामलों की श्रेणियों के संबंध में अधिसूचना के उपवाक्य (ख) के अन्तर्गत प्राधिकृत अपर आयकर आयुक्तों या संयुक्त आयकर आयुक्तों की शक्तियों का प्रयोग और उनके कार्यों का निर्वहन कर सकते है।

अनुसूची

क्र. सं.	आयकर अधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	भौगोलिक क्षेत्र	व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी	शक्तियां एवं कार्य
1	2	3	4	5	6
1.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-1, दिल्ली	दिल्ली	(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के भू- सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र (ii) राजस्थान राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र	1. कालम (4) के (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्निलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' से शुरू होता है और उसमें अंक, विशेष कैरेक्टर/ संकेत हों (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो भारत में प्राप्त होता हो या जो (i) माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उप-धारा 2, 194ठग, 194ठघ, 195,196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियों (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ड.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ड.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(ड.),

माना जाता हो।

- (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते है।
- (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख्य स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो।
- (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो।
- (इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।
- 2. कालम (4) के (ii) में
- (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो भारत में प्राप्त होता हो या जो (i) माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो।
- (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं।
- (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख्य स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है।
- (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी

194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, धारा 194ठग, 94ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अर्न्तगत स्रोत पर कर कटौती से संबधित सभी कार्य और शक्तियां

2.	शास्त्र शास्त्र	दिल्ली	(i) राष्ट्रीय	अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय- XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	(क) कालम (5) के मद 1(क) और
2.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-2, दिल्ली		(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की भू-सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र (ii) हिरयाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ की भौगोलिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' या 'पी' से शुरू होता है और उसमें अंक, विशेष कैरेक्टर/ संकेत हो (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में निवास करते है। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख्य स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII वा अध्याय-XVII के करनर्गत स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्तर्गत से अपकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII वा अध्याय-XVII के कालमें है।	(क) कालम (5) क मद (क) आर 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ठच, 194ठच, धारा 194ठच, 194ठघ, 195,196क, 196च, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियों (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(इ.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(इ.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(इ.), 194ठख, धारा 194ठखक की उप-धारा 2, धारा 194ठम, 94ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां।

				2 ਭਾਰਧ (4) <u>ਵੇ (ii)</u> ਸੇਂ	
				2. कालम (4) के (ii) में (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल हैं और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख्य स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-	
				XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार	
3.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-3, दिल्ली	दिल्ली	(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के भू- सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र (ii) उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र	है। 1. कालम (4) के (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'क्यू' या 'आर' या 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से शुरू होता है और उसमें अंक, विशेष कैरेक्टर/ संकेत हो (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उप-धारा 2 धारा 194ठग, 194ठघ, 196घ, और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियों। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ड.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ड.) में

[भाग II—खण्ड 3 (ii)]

संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो।

- (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते है।
- (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है।
- (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो।
- (ड.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार
- 2. कालम (4) के (ii) में
- (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो।
- (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते है।
- (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो

उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(इ.), 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, धारा 194ठग, 94ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अर्न्तगत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां

4	2000-7-2000-7-	को जनगर ा	براني بالانجا	व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	(क) कालम (5) के मल 4(क) और
4.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अन्तरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, निजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा राज्य तथा अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र की भौगोलिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्निलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' से शुरू होता है और उसमें अंक, विशेष कैरेक्टर/ संकेत हो (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित अय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते है। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में जिनके व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हों और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 194ठख 194ठख की उपधारा (2), 194ठम, 195,196क, 196ख, 196म, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियों। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(इ.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(इ.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(इ.), 194ठख, 194ठख की उपधारा (2), 194ठम, 94ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अर्न्तगत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शिक्तयां

				उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो।	
5.	आयकर आयुक्त	मुम्बई	वृहत मुम्बई	(ड.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है। कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक	(क) कालम (5) के मद 1(क) और
	(अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-1, मुम्बई		महानगर पालिका तथा नवी मुम्बई महानगर पालिका के भू- सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे और रायगढ़ के भीतर आने वाले क्षेत्र	क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'ए' या 'बी' से शुरू होता है और उसमें अंक, विशेष कैरेक्टर/ संकेत हो (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित अाय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते है। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है	2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, 194ठग, 194ठघ, 195,196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(इ.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(इ.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(इ.), 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, धारा 194ठग, 94ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां
6.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय	मुम्बई	वृहत मुम्बई महानगर	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के
	<u> </u>	<u> </u>	`	<u> </u>	

	कराधान)-2, मुम्बई		पालिका तथा नवी मुम्बई महानगर पालिका के भू- सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे और रायगढ़ के भीतर आने वाले क्षेत्र	जिनका नाम 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' से शुरू होता है (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते है। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में जाता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (इ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4)	संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, 194ठम, 195,196क, 196 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शिक्तयों समेत सभी कार्य और शिक्तयों। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(इ.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(इ.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(इ.), 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, धारा 194ठम, 94ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अर्न्तगत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शिक्तयां
				का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	
7.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-3, मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई महानगर पालिका तथा नवी मुम्बई महानगर पालिका के भू-सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे और रायगढ़ के भीतर आने वाले क्षेत्र	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्निलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' से शुरू होता है। (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, 194ठग, 194ठघ, 195,196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियों। (ख) कालम (5) के मद 1(ख),

				संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते है। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हों और जालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में जाता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	1(ग), 1(घ), 1(इ.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(इ.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(इ.), 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, धारा 194ठग, 94ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अर्न्तगत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां
8.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-4, मुम्बई	मुम्ब ई	वृहत मुम्बई महानगर पालिका तथा नवी मुम्बई महानगर पालिका के भू- सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे और रायगढ़ के भीतर आने वाले क्षेत्र	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति	2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के

		1			400- 400- 3- 407
				पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित	196ग, 196घ और 197 के अर्न्तगत स्रोत पर कर कटौती से
				भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते है।	संबधित सभी कार्य और शक्तियां
				 (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो	
				्र व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित	
				कर रहे हो और जिनके व्यापार या	
				व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है।	
				(घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी	
				अधिनियम, 2013 के या कम्पनी	
				अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत	
				कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार	
				का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो।	
				 (ड.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4)	
				में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर	
				आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-	
				XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत	
				स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	
9.	थागकर थागकन	अहमदाबाद	गुजरात, मध्य	ह। कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक	(क) कालम (5) के मद 1(क) और
9.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय	ज रुम पा जा प	्राजरात, मध्य प्रदेश,	क्षित्र के लिए	(क) कालम (ठ) के मद (क) जार 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के
	कराधान एवं		छत्तीसगढ़	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की	संबंध में, आयकर अधिनियम,
	अन्तरण मूल्य		तथा संघ	धारा 2 की उपधारा (23क) के	1961 की धारा 194ड.,
	निर्धारण),		शासित प्रदेश,	दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें	194ठख, धारा 194ठखक की
	अहमदाबाद		दमन तथा द्वीव	विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और	उपधारा 2, 194ठग, 194ठघ,
			तथा दादर एवं नागर हवेली	जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार	195,196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत
			के भू-सीमा के	के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक	स्रोत पर कर कटौती के कार्य और
			भीतर आने	संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा	शक्तियों समेत सभी कार्य और
			वाले क्षेत्र	स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता	शक्तियां।
				हो या जो माना जाता हो कि वह	(ख) कालम (5) के मद 1(ख),
				भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4)	1(ग), 1(घ), 1(ड.), 2(ख)
				में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित	2(ग), 2(घ), और 2(ड.) में
				या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो।	उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी
				्रिया आसा हा। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो	कम्पनियों को किए गए भुगतान
				्रिक्ष) कम्पानया संपृथक व्याक्त जा व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से	से संबंधित आयकर अधिनियम,
				पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर	1961 की धारा 194(ड.),
				रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित	194ठख, धारा 194ठखक की
				भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते है।	उपधारा 2, धारा 194ठग, 94ठघ, 195, 196क, 196ख,
				(ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो	१४८४, ।५७, ।५७५, ।५७ख, 196ग, 196घ और 197 के
				व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित	अर्न्तगत स्रोत पर कर कटौती से
				कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में	संबधित सभी कार्य और शक्तियां
				उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है।	
				 (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी	
				अधिनियम, 2013 के या कम्पनी	
				अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत	
				कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार	
				का प्रधान स्थान कालम (4) में	

				उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ड.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय- XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	
10.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अन्तरण मूल्य निर्धारण), पुणे	र्ष	महाराष्ट्र राज्य में रायगढ तथा थाणे जिले तथा नवी मुम्बई महा नगर पालिका की भोगोलिक क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य के अतिरिक्त अन्य के भौगोलिक क्षेत्र वाले क्षेत्र	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते है। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनयम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड , 194ठ ख, 194ठ ख, 195,196क, 196 ख, 196 में ते के कार्य और शिक्तयों समेत सभी कार्य और शिक्तयों समेत सभी कार्य और शिक्तयों (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(इ.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(इ.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194८ ख, 194ठ ख, धारा 194ठ ख, 194ठ ख, 195, 196 क, 196 ख, 196 ग, 196 घ और 197 के अर्त्तगत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शिक्तयां
11.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक, केरल, गोवा राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश लक्षदीप के	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए व्यक्ति (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की

				6200	0 404== 404==
			माहे जिले की भौगोलिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र	विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते है। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में जिनके व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ड.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII के लिए जिम्मेदार स्थात कालिए जिम्मेदार स्थात कालिए जिम्मेदार	उपधारा 2, 194ठग, 194ठघ, 195,196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शिक्तयों समेत सभी कार्य और शिक्तयों। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ड.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ड.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(ड.), 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, धारा 194ठग, 196ग, 196घ और 197 के अर्न्तगत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शिक्तयां।
12.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), चैन्नै	चैन्न <u>ै</u>	तमिलनाडु राज्य तथा पाड़िचेरी के जिले एवं संघ शासित प्रदेश कारिकल के भू- सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र	है। कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (1) भारत में प्राप्त होता हो या जो (i) माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, 194ठग, 194ठघ, 195,196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियों (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ड.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ड.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम,

40				पृथक अन्य स्नोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते है। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्नोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	1961 की धारा 194(इ.), 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, धारा 194ठग, 94ठघ, 195, 196क, 196ग, 196ग और 197 के अर्न्तगत स्रोत पर कर कटौती से संबधित सभी कार्य और शिक्तयां।
13.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अन्तरण मूल्य निर्धारण), हैदराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश तथा तेलगाना राज्य एवं यनम संघ शासित प्रदेश के जिलों के भू- सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत नाना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित अय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते है। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 1945 क की उपधारा 2, 1945 क, 195,196 क, 196 ख, 196 क, 196 क और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियों (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(इ.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(इ.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(इ.), 1945 ख, धारा 1945 ख, 195, 196 क, 196 ख, 196 ग, 196 ख और 197 के अर्न्तगत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां।

(इ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीग आयकर अधिनियम, 1961 के अध्या XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेद है।	, τ τ - τ

यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 57/2014/फा.सं.187/29/2014-आयकर नि. I] दीपशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, Dated the 3rd November, 2014

(Income-tax)

- **S.O. 2814(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India, Central Board of Direct Taxes number S.O. 881(E), dated the 14th September, 2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th September, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Direct Taxes hereby,—
 - (a) directs that the Commissioners of Income-tax specified in column (2) of the Schedule hereto annexed having their headquarters at the places specified in the corresponding entries in column(3) of the said Schedule, shall exercise such powers and perform such functions as specified in column (6) in respect of all cases of persons or classes of persons specified in column (5) in such territorial areas specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule and in respect of all incomes or classes of income thereof;
 - (b) authorises the Commissioners of Income tax referred to in this notification, to issue orders in writing empowering the Additional Commissioners of Income tax or Joint Commissioners of Income tax, who are subordinate to them to exercise the powers and perform the functions of Additional Commissioners of Income tax or Joint Commissioner of Income tax, in respect of such territorial areas or of such persons or classes of persons or of such incomes or classes of income or of such cases or classes of cases specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule;
 - (c) authorises the Additional Commissioners of Income tax or Joint Commissioners of Income tax referred to in clause (b) of this notification, to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions by the Assessing Officer, who are subordinate to them, in respect of such specified area or persons or classes of persons or incomes or classes of income or cases or classes of cases, in respect of which such Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income tax are authorised under clause (b) of this notification.

SCHEDULE

Sl. No.	Designation of Income tax Authorities	Headquarters	Territorial Area	Persons or class of persons	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Commissioner of Income-tax (International Taxation)-1, Delhi	Delhi	(i) Areas lying within the territorial limits of National Capital Territory of	1.For the territorial area mentioned at (i) in column (4), following persons having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' and with	powers including functions and powers relating to Tax Deduction

Delhi; (ii) Areas lying	numerals, special character/ symbol. (a) persons being non-residents	section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195,
within the territorial limits of State of Rajasthan	including foreign companies within the meaning of sub section (23A) of section 2 of the Income tax Act, 1961 and having a Permanent Establishment in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column(4) or having a Business Connection or having any source of income which (i) is received or deemed to be received in India; (ii) accrues or arises or deemed to accrue or arise in India in the areas mentioned in column(4) (b) persons other than companies deriving income from sources other	196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at items 1(a) and 2(a) of column (5). (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C,
	than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4),	196D and 197 of the Income tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign
	(c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4),	companies in respect of persons mentioned at items 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 2(b), 2(c), 2(d) and 2(e), of column (5).
	(d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);	
	(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in column(4)	
	2.For the territorial area mentioned at (ii) in column(4)	
	(a) persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section	
	(23A) of section 2 of the Income tax Act, 1961 and having a Permanent Establishment in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column(4) or having a Business Connection or having any source of income which (i) is received or deemed to be received in India; (ii) accrues or arises or deemed to accrue or arise in India in the areas mentioned in column(4)	
	(b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4),	

				(c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4), (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in column(4)	
2	Commissioner of Income-tax (International Taxation)-2, Delhi	Delhi	(i) Areas lying within the territorial limits of National Capital Territory of Delhi; (ii) Areas lying within the territorial limits of States of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Union Territory of Chandigarh.	1.For the territorial area mentioned at (i) in column (4), following persons having their names beginning with any of the alphabets 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P'. (a) persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub section (23A) of section 2 of the Income tax Act, 1961 and having a Permanent Establishment in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column(4) or having a Business Connection or having any source of income which (i) is received or deemed to be received in India; (ii) accrues or arises or deemed to accrue or arise in India in the areas mentioned in column(4) (b) persons other than companies deriving income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4), (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4), (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in column(4) 2. For the territorial area mentioned at (ii) in column(4)	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, subsection (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at items 1(a) and 2(a) of column (5). (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 on payments made to nonresidents and foreign companies in respect of persons mentioned at items 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 2(b), 2(c), 2(d) and 2(e), of column (5).

		•			
				(a) persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of section 2 of the Income Tax Act, 1961 and having a Permanent Establishment in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column(4) or having a business connection or having any source of income which (i) is received or deemed to be received in India; (ii) accrues or arises or deemed to accrue or arise in India in the areas mentioned in column(4);	
				(b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);	
				(c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4);	
				(d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);	
				(e) any other person responsible for deducting Tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in column(4).	
3.	Commissioner of Income-tax (International Taxation)-3, Delhi	Delhi	(i) Areas lying within the territorial limits of National Capital Territory of Delhi; (ii) Areas lying within the territorial limits of State of Uttar Pradesh and Uttarakhand	any of the alphabets 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, subsection (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at items 1(a) and 2(a) of column (5).
				or deemed to be received in India; (ii) accrues or arises or deemed to accrue or arise in India in the areas mentioned in column(4); (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);	(b) All functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income Tax Act, 1961 on payments made to nonresidents and foreign

				(c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4); (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area	companies in respect of persons mentioned at items 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 2(b), 2(c), 2(d) and 2(e), of column (5).
				mentioned in column (4); (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in column(4);	
				2.For the territorial area mentioned at (ii) in column(4). (a) persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of section 2 of the Income Tax Act, 1961 and having a Permanent Establishment in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column(4) or having a Business Connection or having any source of income which (i) is received or deemed to be received in India; (ii) accrues or arises or deemed to accrue	
				or arise in India in the areas mentioned in column(4); (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);	
				(c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4);	
				(d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);	
				(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in column(4).	
4.	Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing)-Kolkata	Kolkata	Areas lying within the territorial limits of States of West Bengal, Jharkhand, Bihar, Odisha, Sikkim, Assam,	For the territorial area mentioned in column(4). (a) persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of section 2 of the Income Tax Act, 1961 and having a Permanent Establishment	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, subsection (2) of section

			Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands	in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column(4) or having a Business Connection or having any source of income which (i) is received or deemed to be received in India; (ii) accrues or arises or deemed to accrue or arise in India in the areas mentioned in column(4); (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4); (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in	194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income Tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at items 1(a) and 2(a) of column (5). (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income Tax Act, 1961 on payments made to non- residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 2(b), 2(c), 2(d) and 2(e), of column (5).
5.	Commissioner of Income-tax (International Taxation)-1, Mumbai	Mumbai	Areas lying within the territorial limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in the state of Maharashtra.	column(4). For the territorial area mentioned in column (4), following persons having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' and with numerals, special character/ symbol. (a) persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of section 2 of the Income Tax Act, 1961 and having a Permanent Establishment in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column(4) or having a Business Connection or having any source of income which (i) is received or deemed to be received in India; (ii) accrues or arises or deemed to accrue or arise in India in the areas mentioned in column(4); (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4); (d) persons being companies registered	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, subsection (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income Tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at items 1(a) and 2(a) of column (5). (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income Tax Act, 1961 on payments made to nonresidents and foreign companies in respect of persons mentioned at items 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 2(b), 2(c), 2(d) and

				under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in column(4).	2(e), of column (5).
6.	Commissioner of Income-tax (International Taxation)-2, Mumbai	Mumbai	Areas lying within the territorial limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in the state of Maharashtra.	For the territorial area mentioned in column (4), following persons having their names beginning with any of the alphabets 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I'. (a) persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of section 2 of the Income Tax Act, 1961 and having a Permanent Establishment in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column(4) or having a Business Connection or having any source of income which (i) is received or deemed to be received in India; (ii) accrues or arises or deemed to accrue or arise in India in the areas mentioned in column(4); (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4); (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in column(4).	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, subsection (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at items 1(a) and 2(a) of column (5). (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 2(b), 2(c), 2(d) and 2(e), of column (5).
7.	Commissioner of Income-tax (International Taxation)-3, Mumbai	Mumbai	Areas lying within the territorial limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in	For the territorial area mentioned in column (4), following persons having their names beginning with any of the alphabets 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q'. (a) persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of section 2 of the Income Tax Act, 1961 and having a Permanent Establishment in terms of the	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, subsection (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 in respect

-					
			the state of Maharashtra.	applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column(4) or having a Business Connection or having any source of income which (i) is received or deemed to be received in India; (ii) accrues or arises or deemed to accrue or arise in India in the areas mentioned in column(4); (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4); (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in column(4).	of persons mentioned at items 1(a) and 2(a) of column (5). (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 on payments made to nonresidents and foreign companies in respect of persons mentioned at items 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 2(b), 2(c), 2(d) and 2(e), of column (5).
8.	Commissioner of Income-tax (International Taxation)-4, Mumbai	Mumbai	Areas lying within the territorial limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in the state of Maharashtra.	For the territorial area mentioned in column (4), following persons having their names beginning with any of the alphabets 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z' and numerals, special character/ symbol. (a) persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of section 2 of the Income tax Act, 1961 and having a Permanent Establishment in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column(4) or having a Business Connection or having any source of income which (i) is received or deemed to be received in India; (ii) accrues or arises or deemed to accrue or arise in India in the areas mentioned in column(4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4);	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, subsection (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at items 1(a) and 2(a) of column (5). (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 2(b), 2(c), 2(d) and

				 (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in column(4). 	2(e), of column (5).
9.	Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing)-Ahmedabad	Ahmedabad	Areas lying within the territorial limits of States of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Union Territories of Daman and Diu and Dadra & Nagar Haveli.	For the territorial area mentioned in column(4). (a) persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of section 2 of the Income Tax Act, 1961 and having a Permanent Establishment in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column(4) or having a Business Connection or having any source of income which (i) is received or deemed to be received in India; (ii) accrues or arises or deemed to accrue or arise in India in the areas mentioned in column(4); (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4); (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in column(4);	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, subsection (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at items 1(a) and 2(a) of column (5). (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income Tax Act, 1961 on payments made to nonresidents and foreign companies in respect of persons mentioned at items 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 2(b), 2(c), 2(d) and 2(e), of column (5).
10	Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing)-Pune	Pune	Areas lying within the territorial limits of State of Maharashtra other than areas lying within the territorial limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	For the territorial area mentioned in column(4). (a) persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub section (23A) of section 2 of the Income Tax Act, 1961 and having a Permanent Establishment in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column(4) or having a Business Connection or having any source of income which (i) is received	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, subsection (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at

	T	T	D:		1/ 1/ 1 2/ 2 2
			Districts of Thane and Raigarh in		items 1(a) and 2(a) of column (5).
			the state of	or arise in India in the areas mentioned	(4).
			Maharashtra.	in column(4) (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4), (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4), (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);	(b) All functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 2(b), 2(c), 2(d) and 2(e), of column (5).
				(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in column(4)	
11.	Commissioner of Income-tax (International Taxation), Bangalore	Bangalore	Areas lying within the territorial limits of States of Karnataka, Kerala, Goa and District of Mahe in the Union Territory of Lakshadweep	For the territorial area mentioned in column(4) (a) persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub section (23A) of section 2 of the Income tax Act, 1961 and having a Permanent Establishment in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column(4) or having a Business Connection or having any source of income which (i) is received or deemed to be received in India; (ii) accrues or arises or deemed to accrue or arise in India in the areas mentioned in column(4)	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, subsection (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at items 1(a) and 2(a) of column (5).
				 (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4), (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4), (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of 	(b) All functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 on payments made to nonresidents and foreign companies in respect of persons mentioned at items 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 2(b), 2(c), 2(d) and 2(e), of column (5).

				the Income tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in column (4)	
12.	Commissioner of Income-tax (International Taxation), Chennai	Chennai	Areas lying within the territorial limits of state of Tamil Nadu and districts of Pondicherry and Karaikal in the Union Territory of Puducherry	For the territorial area mentioned in column (4) (a) persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub section (23A) of section 2 of the Income tax Act, 1961 and having a Permanent Establishment in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column(4) or having a Business Connection or having any source of income which (i) is received or deemed to be received in India; (ii) accrues or arises or deemed to accrue or arise in India in the areas mentioned in column(4) (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4), (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4), (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in column(4)	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, subsection (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at items 1(a) and 2(a) of column (5). (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 on payments made to nonresidents and foreign companies in respect of persons mentioned at items 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 2(b), 2(c), 2(d) and 2(e), of column (5).
13.	Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing)-Hyderabad	Hyderabad	Areas lying within the territorial limits of states of Andhra Pradesh and Telangana and district of Yanam in the Union Territory of Puducherry	For the territorial area mentioned in column(4) (a) persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub section (23A) of section 2 of the Income tax Act, 1961 and having a Permanent Establishment in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column(4) or having a Business Connection or having any source of income which (i) is received or deemed to be received in India; (ii) accrues or arises or deemed to accrue or arise in India in the areas mentioned in column(4) (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4),	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, subsection (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at items 1(a) and 2(a) of column (5). (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at source under sections 194E, 194LB, sub-section (2) of

	(c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column(4), (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income tax Act, 1961 within the territorial area mentioned in column(4).	
--	--	--

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2014.

[Notification No. 57/2014./F. No. 187/29/2014 (ITA. I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2815(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) एवं (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा यह निदेश देता है कि:—

(क) संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त, जिनके मुख्यालय उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में तद्नुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों पर हैं, उक्त अनुसूची के तत्संबंधी स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) और उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) प्रादेशिक क्षेत्रों या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निष्पादन करेंगे, जिसमें उनका क्षेत्राधिकार निहित है।

''अनुसूची''

क्रं.सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी
1	2	3	4
1.	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-1, दिल्ली	दिल्ली	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1)(1), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1)(2), दिल्ली
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2)(1), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2)(2), दिल्ली
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(3), दिल्ली

			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(3)(1), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(3)(2), दिल्ली
2	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-2, दिल्ली	दिल्ली	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(1), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(1)(1), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(1)(2), दिल्ली
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(2), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(2)(1), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(2)(2), दिल्ली
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(3), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(3)(1), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(3)(2), दिल्ली
3	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-3, दिल्ली	दिल्ली	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(1), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(1)(1), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(1)(2), दिल्ली
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(2), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(2)(1), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(2)(2), दिल्ली
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(3), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(3)(1), दिल्ली
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(3)(2), दिल्ली
4	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता	कोलकाता	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी), कोलकाता
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, कोलकाता
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, कोलकाता
5.	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-1, मुम्बई	मुम्बई	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1), मुम्बई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1)(1), मुम्बई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1)(2), मुम्बई
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2), मुम्बई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2)(1), मुम्बई

		1	
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2)(2), मुम्बई
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(3), मुम्बई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(3)(1), सुम्बई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(3)(2), मुम्बई
6.	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-2, मुम्बई	मुम्बई	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(1), मुम्बई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(1)(1), मुम्बई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(1)(2), सुम्बई
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(2), मुम्बई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(2)(1), मुम्बई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(2)(2), मुम्बई
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(3), मुम्बई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण
			अधिकारी)-2(3)(1), मुम्बई उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण
7	आयकर आयुक्त (अंतरण	मुम्बई	अधिकारी)-2(3)(2), मुम्बई अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(1), मुम्बई
	मूल्य निर्धारण)-3, मुम्बई		उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण
			अधिकारी)-3(1)(1), मुम्बई उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण
			अधिकारी)-3(1)(2), मुम्बई
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(2), मुम्बई उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण
			अधिकारी)-3(2)(1), मुम्बई उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण
			अधिकारी)-3(2)(2), मुम्बई
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(3), मुम्बई उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण
			अधिकारी)-3(3)(1), मुम्बई
		2	उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(3)(2), मुम्बई
8.	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-4, मुम्बई	मुम्बई	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4(1), मुम्बई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4(1)(1), मुम्बई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4(1)(2), मुम्बई
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4(2), मुम्बई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4(2)(1), मुम्बई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4(2)(2), मुम्बई
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4(3), मुम्बई

			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण
			अधिकारी)-4(3)(1), मुम्बई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4(3)(2), मुम्बई
9.	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण), पुणे	पुणे	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, पुणे
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1), पुणे
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2), पुणे
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, पुणे
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(1), पुणे
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(2), पुणे
10.	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण), अहमदाबाद	अहमदाबाद	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-अहमदाबाद
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, अहमदाबाद
			उप आयुक्त अथेवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, अहमदाबाद
11.	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-1, बंगलौर	बंगलौर	अपर/संयुक्त आयंकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1), बंगलौर
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1)(1), बंगलौर
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1)(2), बंगलौर
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2), बंगलौर
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2)(1), बंगलौर
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2)(2), बंगलौर
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(3), बंगलौर
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(3)(1), बंगलौर
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(3)(2), बंगलौर
12.	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-2, बंगलौर	बंगलौर	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1), बंगलौर
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1)(1), बंगलौर
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1)(2), बंगलौर
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2), बंगलौर
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(2)(1), बंगलौर
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(2)(2), बंगलौर
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(3), कोचि

	<u>, </u>		,
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(3)(1), कोचि
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(3)(2), कोचि
13.	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण), चेन्नई	चेन्नई	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, चेन्नई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(1), चेन्नई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1(2), चेन्नई
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, चेन्नई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2(1), चेन्नई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(1), चेन्नई
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3, चेन्नई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(1), चेन्नई
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3(2), चेन्नई
14.	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण), हैदराबाद	हैदराबाद	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-, हैदराबाद
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, हैदराबाद
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, हैदराबाद
			उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3, हैदराबाद

यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 58/2014 फा.सं.187/29/2014(आईटीए-1)] दीपशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2014

(Income -tax)

S.O. 2815(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that,—

(a) the Commissioners of Income-tax specified in column (2) of the Schedule hereto annexed, having their headquarters at the places specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule, shall exercise the powers and perform the functions in respect of territorial areas or of such persons or class of persons in respect of which the Additional/Joint Commissioners of Income-tax (Transfer Pricing Officers) and Deputy/Assistant Commissioners of Income-tax (Transfer Pricing Officers) specified in the corresponding column (4) of the said Schedule having jurisdiction vested in them.

"SCHEDULE"

S. No.	Designation of Income-tax Authorities	Headquarters	Transfer Pricing Officers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing)-1, Delhi	Delhi	Additional/Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(1), Delhi
			Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 1(1)(1), Delhi
			Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Incometax (Transfer Pricing Officer) –1(1)(2), Delhi
			Additional/Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(2), Delhi
			Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 1(2)(1), Delhi
			Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Incometax (Transfer Pricing Officer) –1(2)(2), Delhi
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(3), Delhi
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 1(3)(1), Delhi
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 1(3)(2), Delhi
2	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing)-2, Delhi	Delhi	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1), Delhi
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 2(1)(1), Delhi
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 2(1)(2), Delhi
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(2), Delhi
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 2(2)(1), Delhi
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 2(2)(2), Delhi
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(3), Delhi
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 2(3)(1), Delhi
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 2(3)(2), Delhi
3	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing)-3, Delhi	Delhi	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(1), Delhi
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 3(1)(1), Delhi
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 3(1)(2), Delhi
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(2), Delhi

[भाग II-खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 3(2)(1), Delhi
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 3(2)(2), Delhi
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(3), Delhi
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 3(3)(1), Delhi
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 3(3)(2), Delhi
4	Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Kolkata	Kolkata	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer), Kolkata
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1, Kolkata
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2, Kolkata
5	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing)-1, Mumbai	Mumbai	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(1)(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(1)(2), Mumbai
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(2), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(2)(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(2)(2), Mumbai
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(3), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(3)(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(3)(2), Mumbai
6	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing)-2, Mumbai	Mumbai	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1)(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1)(2), Mumbai
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(2), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(2)(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(2)(2), Mumbai
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax

			(Transfer Pricing Officer)- 2(3), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(3)(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(3)(2), Mumbai
7	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing)-3, Mumbai	Mumbai	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(1)(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(1)(2), Mumbai
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(2), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(2)(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(2)(2), Mumbai
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(3), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(3)(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(3)(2), Mumbai
8	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing)-4, Mumbai	Mumbai	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 4(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-4(1)(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-4(1)(2), Mumbai
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 4(2), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-4(2)(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-4(2)(2), Mumbai
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 4(3), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-4(3)(1), Mumbai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-4(3)(2), Mumbai
9	Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Pune	Pune	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1, Pune
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(1), Pune
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(2), Pune

[भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 35

			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2, Pune
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1), Pune
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(2), Pune
10	Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Ahmedabad	Ahmedabad	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer), Ahmedabad
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1, Ahmedabad
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2, Ahmedabad
11	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing)-1, Bangalore	Bangalore	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax(Transfer Pricing Officer)-1(1), Bangalore
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(1)(1), Bangalore
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(1)(2), Bangalore
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax(Transfer Pricing Officer)-1(2), Bangalore
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(2)(1), Bangalore
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(2)(2), Bangalore
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax(Transfer Pricing Officer)-1(3), Bangalore
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(3)(1), Bangalore
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(3)(2), Bangalore
12	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing)-2, Bangalore	Bangalore	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax(Transfer Pricing Officer)-2(1), Bangalore
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1)(1), Bangalore
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1)(2), Bangalore
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax(Transfer Pricing Officer)-2 (2), Bangalore
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(2)(1), Bangalore
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(2)(2), Bangalore
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax(Transfer Pricing Officer)-2(3), Kochi
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer

			Pricing Officer)-2(3)(1), Kochi
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(3)(2), Kochi
13	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing), Chennai	Chennai	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1, Chennai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(1), Chennai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(2), Chennai
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2, Chennai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1), Chennai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1), Chennai
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3, Chennai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(1), Chennai
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(2),Chennai
14	Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Hyderabad	Hyderabad	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer), Hyderabad
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1, Hyderabad
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2, Hyderabad
			Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3, Hyderabad

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2014.

[Notification No. 58 /2014/F. No.187/29/2014 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2014

(आय-कर)

का.आ. 2816(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-॥, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 9 सितंबर, 2004 में प्रकाशित भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 994 (अ) दिनांक 9 सितंबर, 2014 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा न की गई वस्तुओं को छोड़कर, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदद्वारा निदेश देता है कि स्तंभ (2) में उल्लिखित अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी जिनके मुख्यालय संतभ (3) में उल्लिखित है, निम्निलिखित अनुसूची के सतंभ (4) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों अथवा स्तंभ (5) में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में इस अधिनियम की धारा 92 ग तथा 92 घ के प्रयोजनार्थ धारा 92 गक में यथा उल्लिखित अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्यों का निष्पादन करेंगे:

अनुसूची

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग
1	2	3	4	5
1.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
2.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
3.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।

4.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
5.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
6.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
7.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (3), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा

			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं। व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
8.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (3) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
9.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (3) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
10.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1) , दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।

	T		2 22	
			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
11.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
12.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
13.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
14.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ

	अधिकारी) -2 (2) (1), दिल्ली		के भीतर आने वाले क्षेत्र	(4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
15.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -2 (2) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
16		A	राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
16.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ

	अधिकारी)-2 (3), दिल्ली		के भीतर आने वाले क्षेत्र	(4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा
	91447(1)-2 (3), 14vvII		यः मात्तर आगं याल दाय	जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
17.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -2 (3) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र राजस्थान राज्य की प्रादेशिक	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
18.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -2 (3) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
19.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा

	T	T	1	
			उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड	'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं। व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर
			राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
20.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -3 (1) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'प्रा' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'प्र्म' अथवा 'वी' अथवा 'एक्स' अथवा 'वी' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
21.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -1 (1) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
22.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'जेड्य' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड्ड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं। व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर
			राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
23.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -3 (2) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा

	T.			
			उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'एसस' अथवा 'वी' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं। व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
24.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -3 (2) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'पू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं। व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर
			राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
25.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (3), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'पू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
26.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -3 (3) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'पू' अथवा 'वी' अथवा 'जेड्य' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड्य' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
27.	उप/सहायक आयकर	दिल्ली	राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं। व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर
	आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -3 (3) (2),		की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा

	I C - C	T	T	1 0
	ि दिल्ली		उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'पा' अथवा 'दी' अथवा 'पू' अथवा 'पि' अथवा 'वि' अथवा 'एक्स' अथवा 'वि' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं। व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
28.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिसा, सिक्किम, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
29.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिसा, सिक्किम, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
30.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिसा, सिक्किम, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
31.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1) मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
32.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
33.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती

				हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं ।
34.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2) मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	ह अथवा कर निधारण याग्य ह । व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती
35.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं। व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
36.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
37.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), (3), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
38.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), (3) (1), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
39.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), (3) (2), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
40.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1) मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
41.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।

	T.			
42.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
43.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2) मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
44.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
45.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
46.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (3) मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
47.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (3), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
48.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, (3) (2), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
49.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (1) मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा

	1	1	0 % 0 % 0 %	
			रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
50.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (1), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
51.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (1), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
52.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (2) मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
53.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (2), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
54.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (2), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
55.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (3) मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
56.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (3), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू

	1	1	T	1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
				होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है ।
57.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (3), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
58.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (1) मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
59.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (1), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
60.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (1), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
61.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (2) मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
62.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (2), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
63.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (2), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा

			की सीमाओं के भीतर आने वालेक्षेत्र	'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
64.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (3) मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
65.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (3), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
66.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (3), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
67.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, पुणे	पुणे	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न महाराष्ट्र राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
68.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), पुणे	पुणे	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न महाराष्ट्र राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
69.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2), पुणे	पुणे	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न महाराष्ट्र राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।

	T .	1 5		
70.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, पुणे	पुणे	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न महाराष्ट्र राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
71.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1), पुणे	पुणे	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न महाराष्ट्र राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
72.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2), पुणे	पुणे	वृह्त मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न महाराष्ट्र राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
73.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी), अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
74.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
75.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
76.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'वी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं। व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
77.	उप/सहायक आयकर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर

	आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1) (1), बंगलौर		क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'प्ती' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं। व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
78.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1) (2), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं
			गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
79.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं
			गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
80.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2) (1), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं
		_	गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
81.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2) (2), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी

				जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं
			गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
82.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (3), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने बाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं
			गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
83.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (3) (1), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं
			गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
84.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (3) (2), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं
			गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
85.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' संख्या, विशेष संख्या/चिह्न से शुरू होते हैं तथा जो कर

				निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के
				अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं। अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
86.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा
	अधिकारी)-2 (1) (1),		वाले क्षेत्र	'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू'
	बंगलौर () ()			अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा
				'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' संख्या, विशेष
				संख्या/चिहन से शुरू होते हैं तथा जो कर
				निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ
				(4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं
				अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
87.	उप/सहायक आयकर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम
	आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1) (2),		क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	वर्णमाला 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू'
	बंगलौर		11.71.41.1	अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा
				'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स'
				अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' संख्या, विशेष संख्या/चिह्न से शुरू होते हैं तथा जो कर
				निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ
				(4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के
				अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
88.	अपर/सहायक आयकर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम
	आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2),		क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	वर्णमाला 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू'
	आवकारा)-2 (2), बंगलौर		पाल क्षत्र	एन अयवा जा अयवा पा अयवा क्यू अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा
				'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स'
				अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' संख्या, विशेष संख्या/चिह्न से शुरू होते हैं तथा जो कर
				निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ
				(4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के
				अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
89.	उप/सहायक आयुकर्	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों को वर्ग जिनके नाम
	आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2) (1),		क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	वर्णमाला 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू'
	जावपारा <i>)-2 (2) (1),</i> बंगलौर		्पाण दान	एन जयपा जा जयपा पा जयपा प्रयू अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा
				'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स'
				अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' संख्या, विशेष संख्या/चिह्न से शुरू होते हैं तथा जो कर
				निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ
				(4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के
				अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
90.	उप/सहायक आयकर्	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम
	आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2) (2),		क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	वर्णमाला 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू'
	आधकारा)-2 (2) (2), बंगलौर		पाण पान 	एन अथवा आ अथवा पा अथवा क्यू अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा
				'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स'
				अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' संख्या, विशेष संख्या/चिह्न से शुरू होते हैं तथा जो कर
				निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ
				(4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के
				अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
	I .	L	<u> </u>	1

		1		
91.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (3), कोच्चि	कोच्चि	केरल राज्य तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
92.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (3) (1), कोच्चि	कोच्चि	केरल राज्य तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
93.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (3) (2), कोच्चि	कोच्चि	केरल राज्य तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
94.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
95.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1) चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
96.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2) चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
97.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
98.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1) चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
99.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1) चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
100.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3, चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।

	T		T _	
101.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (1) चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
102.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (2) चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
103.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी), हैदराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के यानम प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
104.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, हैदराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के यानम प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
105.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, हैदराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के यानम प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
106.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -3, हैदराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के यानम प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।

यह अधिसूचना 15-11-2014 से प्रभावी होंगे ।

[अधिसूचना सं. 59/2014/फा. सं. 187/29/2014(आई.टी.ए. 1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2014

(Income-Tax)

S.O. 2816(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India, Central Board of Direct Taxes number S.O.994(E), dated the 9th September, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub Section (ii), dated the 9th September, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Transfer Pricing Officers mentioned in column (2) having their headquarters mentioned in column (3) shall exercise such powers and perform such function of Transfer Pricing Officers as mentioned in section 92CA for the purpose of sections 92C and 92D of the Act, in respect of such territorial areas specified in the corresponding entries in column (4) or of such persons or classes of persons mentioned in column (5) of the schedule before:—

"SCHEDULE"

Sl.	Designation of	Headquarters	Territorial area	Persons or Class of persons
No.	Income-tax			

	Authorities			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(1), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F'.
			limits of States of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Union Territory	
2	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 1(1)(1), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F'.
			limits of States of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Union Territory	
3	Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) – 1(1)(2), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F'.
			limits of States of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
4	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(2), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F'.
			limits of States of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
5	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) -	Delhi	limits of National Capital Territory	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial

	1/2\/1\ Dalbi	1		and indicated in antique (4)
	1(2)(1), Delhi			area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F'.
			limits of States of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
6	Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) – 1(2)(2), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F'.
			limits of States of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
7	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(3), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F'.
			limits of States of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
8	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 1(3)(1), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F'.
			limits of States of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
9	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 1(3)(2), Delhi	Delhi	limits of National Capital Territory of Delhi	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F'.
				Persons or class of persons who are assessed or assessable within the

			and Kashmir and Union Territory	jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
10	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N'.
			Areas lying within the territorial limits of state of Rajasthan.	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
11	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 2(1)(1), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N'.
			limits of state of Rajasthan.	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
12	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 2(1)(2), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N'.
			Areas lying within the territorial limits of state of Rajasthan.	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
13	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(2), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N'.
			Areas lying within the territorial limits of state of Rajasthan.	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
14	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers

	Pricing Officer) - 2(2)(1), Delhi			having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N'.
			Areas lying within the territorial limits of state of Rajasthan.	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
15	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 2(2)(2), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N'.
			Areas lying within the territorial limits of state of Rajasthan.	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
16	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(3), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N'.
			Areas lying within the territorial limits of state of Rajasthan.	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
17	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 2(3)(1), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N'.
			Areas lying within the territorial limits of state of Rajasthan.	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
18	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 2(3)(2), Delhi	Delhi	limits of National Capital Territory of Delhi	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N'. Persons or class of persons who are
	<u> </u>		1, within the territorial	- 1-15115 of times of persons who are

		limits of state of Rajasthan.	assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
19	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(1), Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with numerals, special character/ symbol and with any of the alphabets 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z'.
			Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
20	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 3(1)(1), Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with numerals, special character/ symbol and with any of the alphabets 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z'.
			Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
21	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 3(1)(2), Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with numerals, special character/ symbol and with any of the alphabets 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z'.
			Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
22	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(2), Delhi	limits of National Capital Territory of Delhi	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with numerals, special character/ symbol and with any of the alphabets 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z'.

			limits of state of Uttar Pradesh and Uttarakhand.	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
23	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 3(2)(1), Delhi	of Fransfer		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with numerals, special character/ symbol and with any of the alphabets 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z'.
				Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
24	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 3(2)(2), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with numerals, special character/ symbol and with any of the alphabets 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z'.
				Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
25	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(3), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with numerals, special character/ symbol and with any of the alphabets 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z'.
				Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
26	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 3(3)(1), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with numerals, special character/ symbol and with any of the alphabets 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U'

				or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z'.
			limits of state of Uttar Pradesh and Uttarakhand.	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
27	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer) - 3(3)(2), Delhi	Delhi		Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with numerals, special character/ symbol and with any of the alphabets 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z'.
				Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
28	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer), Kolkata	Kolkata	limits of States of West Bengal, Jharkhand, Bihar, Odisha, Sikkim,	Persons or class of persons who are assessed or assessable within the jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
29	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1, Kolkata	Kolkata	limits of States of West Bengal, Jharkhand, Bihar, Odisha, Sikkim,	, ,
30	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2, Kolkata	Kolkata	limits of States of West Bengal, Jharkhand, Bihar, Odisha, Sikkim,	
31	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(1), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D'.
32	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(1)(1), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and

			the state of Maharashtra.	having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D'.
33	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(1)(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D'.
34	Additional/Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D'.
35	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(2)(1), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D'.
36	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(2)(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D'.
37	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(3), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in	Persons or class of persons who)are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial in area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D'.
38	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(3)(1), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D'.
39	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(3)(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D'.

10	A LPP			
	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(1), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in the state of Maharashtra.	jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K'.
41	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1)(1), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K'.
42	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1)(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K'.
43	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K'.
	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(2)(1), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K'.
45	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(2)(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K'.
	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(3), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	
47	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer	Mumbai	Areas lying within the territorial limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai	

	Pricing Officer)-2(3)(1), Mumbai		Districts of Thane and Raigarh in the state of Maharashtra.	having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K'.
48	Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(3)(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K'.
49	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(1), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R'.
50	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(1)(1), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R'.
51	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(1)(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R'.
52	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	
53	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(2)(1), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R'.
54	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(2)(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning

[भाग II-खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 67

				with any of the alphabets 'L' or 'M' or
				'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R'.
55	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(3), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R'.
56	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(3)(1), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R'.
57	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(3)(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R'.
58	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 4(1), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z', numerals, special character/ symbol.
59	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-4(1)(1), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	
60	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-4(1)(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z', numerals, special character/ symbol.
61	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 4(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning

				with any of the alphabets 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z', numerals, special character/ symbol.
	Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-4(2)(1), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z', numerals, special character/ symbol.
	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-4(2)(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z', numerals, special character/ symbol.
64	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 4(3), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z', numerals, special character/ symbol.
65	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-4(3)(1), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z', numerals, special character/ symbol.
	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-4(3)(2), Mumbai	Mumbai	limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in the state of Maharashtra.	jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with any of the alphabets 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z', numerals, special character/ symbol.
	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1, Pune	Pune	limits of State of Maharashtra other than areas lying within the territorial limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in the state of Maharashtra.	jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
68	Deputy/ Assistant Commissioner of	Pune	Areas lying within the territorial limits of State of Maharashtra	Persons or class of persons who are assessed or assessable within

	,		<u></u>	<u>, </u>
	Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(1), Pune		territorial limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation and Districts of Thane and Raigarh in the state of Maharashtra.	
69	Deputy/Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(2), Pune	Pune	limits of State of Maharashtra other than areas lying within the	jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
70	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2, Pune	Pune	limits of State of Maharashtra other than areas lying within the	jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1), Pune	Pune	limits of State of Maharashtra other than areas lying within the	jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(2), Pune	Pune	limits of State of Maharashtra other than areas lying within the	jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
73	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- Ahmedabad	Ahmedabad	limits of States of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Union	
74	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1, Ahmedabad	Ahmedabad	limits of States of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.	jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
75	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2,	Ahmedabad	limits of States of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Union	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial

	Ahmedabad		Dadra and Nagar Haveli.	area indicated in column (4)
76	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax(Transfer Pricing Officer)-1 (1), Bangalore	Bangalore	limits of State of Karnataka	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J'
			Areas lying within the territorial limits of State of Goa	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
77	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(1)(1), Bangalore	Bangalore	limits of State of Karnataka	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4) and having their names beginning with alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J'.
			Areas lying within the territorial limits of State of Goa	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
78	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(1)(2), Bangalore	Bangalore	Areas lying within the territorial limits of State of Karnataka	Persons or class of persons who are having their names beginning with alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' and who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
			Areas lying within the territorial limits of State of Goa	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
79	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax(Transfer Pricing Officer)- 1(2), Bangalore	Bangalore	Areas lying within the territorial limits of State of Karnataka	Persons or class of persons who are having their names beginning with alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' and who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
			Areas lying within the territorial limits of State of Goa	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
80	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(2)(1),	Bangalore	Areas lying within the territorial limits of State of Karnataka	Persons or class of persons who are having their names beginning with alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' and who are assessed or assessable within

	Bangalore			jurisdiction of Assessing Officers
				having their office in the territorial area indicated in column (4)
			Areas lying within the territorial limits of State of Goa	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
81	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(2)(2), Bangalore	Bangalore	Areas lying within the territorial limits of State of Karnataka	Persons or class of persons who are having their names beginning with alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' and who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
			limits of State of Goa	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
82	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax(Transfer Pricing Officer)-1 (3), Bangalore	Bangalore	Areas lying within the territorial limits of State of Karnataka	Persons or class of persons who are having their names beginning with alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' and who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
			Areas lying within the territorial limits of State of Goa	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
83	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(3)(1), Bangalore	Bangalore		Persons or class of persons who are having their names beginning with alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' and who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
			Areas lying within the territorial limits of State of Goa	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
84	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(3)(2), Bangalore	Bangalore	limits of State of Karnataka	Persons or class of persons who are having their names beginning with alphabets 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' and who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
			Areas lying within the territorial limits of State of Goa	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers

				having their office in the termiter 1
				having their office in the territorial area indicated in column (4)
	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax(Transfer Pricing Officer)-2 (1), Bangalore	Bangalore	Areas lying within the territorial limits of State of Karnataka	Persons or class of persons who are having their names beginning with alphabets 'K' or 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z' numeric, special character/ symbol and who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
86	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1)(1), Bangalore	Bangalore	Areas lying within the territorial limits of State of Karnataka	Persons or class of persons who are having their names beginning with alphabets 'K' or 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z', numeric, special character/ symbol and who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
87	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1)(2), Bangalore	Bangalore	Areas lying within the territorial limits of State of Karnataka	Persons or class of persons who are having their names beginning with alphabets 'K' or 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z', numeric, special character/ symbol and who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
88	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax(Transfer Pricing Officer)-2 (2), Bangalore	Bangalore	Areas lying within the territorial limits of State of Karnataka	Persons or class of persons who are having their names beginning with alphabets 'K' or 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z', numeric, special character/ symbol and who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
89	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(2)(1), Bangalore	Bangalore	Areas lying within the territorial limits of State of Karnataka	Persons or class of persons who are having their names beginning with alphabets 'K' or 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z', numeric, special character/ symbol and who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
90	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(2)(2), Bangalore	Bangalore	Areas lying within the territorial limits of State of Karnataka	Persons or class of persons who are having their names beginning with alphabets 'K' or 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z', numeric, special character/ symbol and who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing

				Officers having their office in the
0.1	A 1 199			territorial area indicated in column (4)
91	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax(Transfer Pricing Officer)-2 (3), Kochi	Kochi	Areas lying within the territorial limits of State of Kerala and Union Territory of Lakshadweep	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
92	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(3)(1), Kochi	Kochi	Areas lying within the territorial limits of State of Kerala and Union Territory of Lakshadweep	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
93	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(3)(2), Kochi	Kochi	limits of	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
94	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1, Chennai	Chennai	limits of state of Tamil Nadu and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
95	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(1), Chennai	Chennai	limits of state of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry	
96	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(2), Chennai	Chennai	limits of state of Tamil Nadu and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2, Chennai	Chennai	limits of state of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1), Chennai	Chennai	limits of state of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry except Yanam Territory	jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
99	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1), Chennai	Chennai	limits of state of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry	
	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3, Chennai	Chennai	limits of state of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry except Yanam Territory	jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
	Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(1), Chennai	Chennai	limits of state of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry except Yanam Territory	jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
102	Deputy/ Assistant Commissioner of	Chennai	Areas lying within the territorial limits of state of Tamil Nadu and	Persons or class of persons who are assessed or assessable within

Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(2), Chennai			jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1, Hyderabad	•	limits of states of Andhra Pradesh and Telangana and Yanam Territory of Union Territory of	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2, Hyderabad	•	limits of states of Andhra Pradesh and Telangana and Yanam Territory of Union Territory of	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)
Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3, Hyderabad	•	limits of states of Andhra Pradesh and Telangana and Yanam Territory of Union Territory of	Persons or class of persons who are assessed or assessable within jurisdiction of Assessing Officers having their office in the territorial area indicated in column (4)

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2014.

[Notification No. 59 /2014./F. No.187/29/2014 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अ**धिसूचना**

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2817(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3 उपखंड-(ii) में दिनांक 12 मार्च, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 279(अ) दिनांक 12 मार्च, 2003 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या न की गई वस्तुओं को छोड़कर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा, निदेश देता है कि: –

- (क) नीचे अनुसूची के स्तम्भ (6) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा 92 गक के स्पष्टीकरण में उल्लिखित अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी सारणी के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट अपर आयकर आयुक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) का अधीनस्थ होगा।
- (ख) नीचे अनुसूची के स्तम्भ (5) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा 92 गक के स्पष्टीकरण में उल्लिखित अंतरण मुल्य निर्धारण अधिकारी सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट आयकर आयक्त का अधीनस्थ होगा।
- (ग) नीचे सारणी के स्तम्भ (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) या (2) में विनिर्दिष्ट प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त के अधीनस्थ होंगे।

अनुसूची

क्र. सं.	प्रधान मुख्य आयकरआयुक्त	मुख्य आयकर	आयुक्त आयकर	अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (अपर/संयुक्त	अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (उप/सहायक आयकर आयुक्त)
	आयकर	आयुक्त आयकर		आयकर आयुक्त)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय		आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-1, दिल्ली	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-I(1), दिल्ली	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- I(1)(1), दिल्ली
	कराधान), दिल्ली				(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-I(1)(2), दिल्ली
				अपर/संयुक्त आयकर	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण

T	1	
	आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- I(2), दिल्ली	(मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-I(2)(1), दिल्ली (ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-I(2)(2), दिल्ली
	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- I(3), दिल्ली	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-I(3)(1), दिल्ली (ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-I(3)(2), दिल्ली
आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-2, दिल्ली	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- 2(1), दिल्ली	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(1)(1), दिल्ली
	-(-),	(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(1)(2), दिल्ली
	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(2)(1), दिल्ली
	2(2), दिल्ली	(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(2)(2), दिल्ली
	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- 2(3), दिल्ली	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(3)(1), दिल्ली
		(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(3)(2), दिल्ली
आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-3, दिल्ली	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- 3(1), दिल्ली	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-3(1)(1), दिल्ली
		(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-3(1)(2), दिल्ली
	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- 3(2), दिल्ली	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-3(2)(1), दिल्ली
	3(2), [4000]	(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-3(2)(2), दिल्ली
	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-3(3)(1), दिल्ली
	3(3), दिल्ली	(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-3(3)(2), दिल्ली
आयकर आयुक्त	अपर/संयुक्त आयकर	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण

		<u> </u>	,_·	,·	(
			(अंतरण मूल्य निर्धारण)	आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-	(मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-1, कोलकाता
			निर्धारण), कोलकाता	निर्धारण अधिकारी)- कोलकाता	(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2, कोलकाता
2	प्रधान मुख्य	मुख्य	आयकर आयुक्त	अपर/संयुक्त आयकर	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण
	आयकर	आयकर व्यापन	(अंतरण मूल्य	आयुक्त (अंतरण मूल्य	(मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-1(1)(1), मुम्बई
	आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय	आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय	निर्धारण),मुम्बई-।	निर्धारण अधिकारी)-। (1), मुम्बई	 (ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण
	कराधान),	कराधान)		(1), 3	(मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 1(1)(2),
	दिल्ली	(पश्चिम			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		जोन), मुम्बई			Š
		3 44		अपर/संयुक्त आयकर	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण
				आयुक्त (अंतरण मूल्य	(ग्रं उपराहायम आयमार आयुक्त (असरण) (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 1(2)(1),
				निर्धारण अधिकारी)-।(2), मुम्बई	मुम्बई
					(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण
					(मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 1(2)(2), मुम्बई
				अपर/संयुक्त आयकर	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण
				आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-⊦(3),	(मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 1(3)(1),
				मुम्बई	मुम्बई
					(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण
					(मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 1(3)(2), मुम्बई
			आयकर आयुक्त	अपर/संयुक्त आयकर	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण
			(अंतरण मूल्य निर्धारण)-मुम्बई-2	आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- 2(1), मुम्बई	(मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 2(1)(1), मुम्बई
				2(1), 3,42	(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण
					(मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 2(1)(2), मुम्बई
				अपर/संयुक्त आयकर	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण
				आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- 2(2), मुम्बई	(मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 2(2)(1), मुम्बई
					(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण
					(मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 2(2)(2), मुम्बई
				अपर/संयुक्त आयकर	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण
				आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-	(मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 2(3)(1),
				विवारण जावकारा)- 2(3), मुम्बई	मुम्बई
					(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण
					(मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 2(3)(2), मुम्बई
			आयकर आयुक्त	अपर/संयुक्त आयकर	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण
			(अंतरण मूल्य निर्धारण)-मुम्बई-3	आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-	(मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 3(1)(1), मुम्बई
				3(1), मुम्बई	9 \

					(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 3(1)(2), मुम्बई
				अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- 3(2), मुम्बई	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 3(2)(1), मुम्बई
				3(-), g · x	(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 3(2)(2), मुम्बई
				अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- 3(3), मुम्बई	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 3(3)(1), मुम्बई
				J	(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 3(3)(2), मुम्बई
			आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-मुम्बई-4	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- 4(1), मुम्बई	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- 4(1)(।), मुम्बई
					(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-4(1)(2), मुम्बई
				अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-4(2)(1), मुम्बई
				4(2), मुम्बई	(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-4(2)(2), मुम्बई
				अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-4(3)(1), मुम्बई
				4(3), मुम्बई	(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-4(3)(2), मुम्बई
			आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-पुणे	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1,	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- I (1), पुणे
			गिवारण)-पुरा	पुणे	(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-1(2), पुणे
				अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2,	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(1), पुणे
				पुणे	(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(2), पुणे
			आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण), अहमदाबाद	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- अहमदाबाद	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-1, अहमदाबाद (ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण
3	प्रधान मुख्य आयुक्त,	मुख्य आयकर	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य	(मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2, अहमदाबाद (i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-1(1)(1),

आयकर (अंतरण मूल्य निर्धारण), दिल्ली	आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) (दक्षिणी जोन), बंगलौर	निर्धारण)-1, बंगलौर	निर्धारण अधिकारी)- 1(1), बंगलौर	बंगलौर (ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-1(1)(2), बंगलौर
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- I(2), बंगलौर	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-1(2)(1),1, बंगलौर (ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-1(2)(2),1, बंगलौर
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- 1(3), बंगलौर	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-1(3)(1), बंगलौर (ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-1(3)(2), बंगलौर
		आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-2, बंगलौर	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- 2(1), बंगलौर	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(1)(1), बंगलौर (ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(1)(2), बंगलौर
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- 2(2), बंगलौर	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(2)(1), बंगलौर (ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(2)(2), बंगलौर
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- 2(3), कोचि	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(3)(1), कोचि (ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(3)(2), कोचि
		आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण), चेन्नई	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, चेन्नई	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-1(1), चेन्नई (ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-1(2), चेन्नई
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, चेन्नई	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(1), चेन्नई (ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2(2), चेन्नई
			अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3,	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-3(1), चेन्नई

		चेन्नई	(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-3(2), चेन्नई
	आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण), हैदराबाद	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी), हैदराबाद	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-1, हैदराबाद (ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2, हैदराबाद (iii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-3, हैदराबाद

2. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 60 /2014/फा. सं.187/29/2014 (आईटीए-1)] दीपशिखा शर्मा. निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2014

(Income-tax)

- **S.O. 2817(E).**—In exercise of the powers conferred by section 118 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India, the Central Board of Direct Taxes number S.O. 279(E), dated the 12th March, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii), dated the 12th March, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that,—
 - (a) the Transfer Pricing Officer referred to in the explanation to section 92CA of the said Act, as specified in column (6) of the Schedule below shall be subordinate to the Additional/ Joint Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing Officer) specified in column (5) of the Table;
 - (b) the Transfer Pricing Officer referred to in the explanation to section 92CA of the said Act, as specified in column (5) of the Schedule below shall be subordinate to the Commissioner of Income-tax specified in column (4) of the Table.
 - (c) the Commissioner of Income-tax as specified in column (4) of the table below shall be subordinate to the Principal Chief Commissioner / the Chief Commissioner of Income-tax specified in column (1) or (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No	Principal Chief Commissioner of Income-tax	Chief Commissioner of Income-tax	Commissioner of Income-tax	Transfer Pricing Officer (Additional/ Joint	Transfer Pricing Officer (Deputy /Assistant
	meome-tax			Commissioner of	Commissioner of
				Income-tax)	Income-tax)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Principal Chief	-	Commissioner of	Additional/Joint	(i) Deputy/ Assistant
	Commissioner of		Income-tax (Transfer	Commissioner of	Commissioner of
	Income-tax		Pricing)-1, Delhi	Income-tax (Transfer	Income-tax (Transfer
	(International			Pricing Officer)-	Pricing Officer)-
	Taxation), Delhi			1(1), Delhi	1(1)(1), Delhi
					(ii) Deputy/ Assistant
					Commissioner of
					Income-tax (Transfer
					Pricing Officer)-
					1(1)(2), Delhi
				Additional/ Joint	(i) Deputy/ Assistant
				Commissioner of	Commissioner of
				Income-tax (Transfer	Income-tax (Transfer

		Delhi	Pricing Officer)- 1(2)(1), Delhi (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(2)(2), Delhi (i) Deputy/ Assistant
		Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(3), Delhi	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(3)(1), Delhi (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(3)(2), Delhi
	Income-tax (Transfer	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1), Delhi	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(1)(1), Delhi (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(1)(2), Delhi
		Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(2), Delhi	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(2)(1), Delhi (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(2)(2), Delhi
		Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(3), Delhi	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(3)(1), Delhi (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(3)(2), Delhi
	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing)-3, Delhi	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(1), Delhi	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(1)(1), Delhi (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(1)(2), Delhi
		Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(2),	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(2)(1), Delhi

				(ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(2)(2), Delhi
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(3), Delhi	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(3)(1), Delhi (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of
		G	A 11'd' 1/ T. ' .	Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(3)(2), Delhi
		Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Kolkata	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- Kolkata	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1, Kolkata (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2, Kolkata
2	Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation), Delhi	Income-tax (Transfer Pricing), Mumbai-1	Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1 (1), Mumbai	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(1)(1), Mumbai (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(1)(2), Mumbai
				(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(2)(1), Mumbai (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(2)(2), Mumbai
			Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(3), Mumbai	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(3)(1), Mumbai (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(3)(2), Mumbai
		Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing), Mumbai-2	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1), Mumbai	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(1)(1), Mumbai

			(ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(1)(2), Mumbai
		Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(2), Mumbai	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(2)(1), Mumbai (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer
		Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer	Pricing Officer)- 2(2)(2), Mumbai (i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer
		Pricing Officer)-2(3), Mumbai	Pricing Officer)- 2(3)(1), Mumbai (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(3)(2), Mumbai
	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing), Mumbai-3	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(1), Mumbai	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(1)(1), Mumbai (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(1)(2), Mumbai
		Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(2), Mumbai	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(2)(1), Mumbai (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(2)(2), Mumbai
		Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-3(3), Mumbai	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(3)(1), Mumbai (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 3(3)(2), Mumbai
	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing), Mumbai-4	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-4(1), Mumbai	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 4(1)(1), Mumbai (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of

					Income-tax (Transfer
					Pricing Officer)-
					4(1)(2), Mumbai
				Additional/ Joint	(i) Deputy/ Assistant
				Commissioner of	Commissioner of Income-tax (Transfer
				Income-tax (Transfer Pricing Officer)-4(2),	Pricing Officer)-
				Mumbai	4(2)(1), Mumbai
					(ii) Deputy/ Assistant
					Commissioner of
					Income-tax (Transfer Pricing Officer)-
					4(2)(2), Mumbai
				Additional/ Joint	(i) Deputy/ Assistant
				Commissioner of	Commissioner of
				Income-tax (Transfer	Income-tax (Transfer
				Pricing Officer)-4(3), Mumbai	Pricing Officer)- 4(3)(1), Mumbai
				Munioai	(ii) Deputy/ Assistant
					Commissioner of
					Income-tax (Transfer
					Pricing Officer)-
			Commissioner of	Additional/ Joint	4(3)(2), Mumbai (i) Deputy/ Assistant
			Income-tax	Commissioner of	Commissioner of
			(International	Income-tax (Transfer	Income-tax (Transfer
			Taxation and Transfer	Pricing Officer)-1,	Pricing Officer)-1(1),
			Pricing), Pune	Pune	Pune (ii) Deputy/ Assistant
					Commissioner of
					Income-tax (Transfer
					Pricing Officer)-1(2),
				Additional/ Joint	Pune (i) Deputy/ Assistant
				Commissioner of	Commissioner of
				Income-tax (Transfer	Income-tax (Transfer
				Pricing Officer)-2,	Pricing Officer)-2(1),
				Pune	Pune
					(ii) Deputy/ Assistant Commissioner of
					Income-tax (Transfer
					Pricing Officer)-2(2),
					Pune
			Commissioner of Income-tax	Additional/ Joint Commissioner of	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of
			Income-tax (International	Income-tax (Transfer	Income-tax (Transfer
			Taxation and Transfer	Pricing Officer)-	Pricing Officer)-1,
			Pricing), Ahmedabad	Ahmedabad	Ahmedabad
					(ii) Deputy/ Assistant
					Commissioner of Income-tax (Transfer
					Pricing Officer)-2,
					Ahmedabad
3	1	Chief Commissioner			(i) Deputy/ Assistant
	Commissioner of Income-tax		Income-tax (Transfer Pricing)-1, Bangalore	Commissioner of Income-tax (Transfer	Commissioner of Income-tax (Transfer
	(International	Taxation) (South	•	Pricing Officer)-	Pricing Officer)-
	Taxation), Delhi	Zone), Bangalore		1(1), Bangalore	1(1)(1), Bangalore
					(ii) Deputy/ Assistant
					Commissioner of
					Income-tax (Transfer

			Pricing Officer)- 1(1)(2), Bangalore
		Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(2),	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-
		Bangalore	1(2)(1), 1, Bangalore (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of
			Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(2)(2), 1, Bangalore
		Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer
		Pricing Officer)-1(3), Bangalore	Pricing Officer)- 1(3)(1), Bangalore (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of
			Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 1(3)(2), Bangalore
	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing)-2, Bangalore	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(1), Bangalore	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(1)(1), Bangalore (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of
			Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(1)(2), Bangalore
		Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(2), Bangalore	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(2)(1), Bangalore (ii) Deputy/ Assistant
			Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(2)(2), Bangalore
		Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2(3), Kochi	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(3)(1), Kochi (ii) Deputy/ Assistant Commissioner of
			Income-tax (Transfer Pricing Officer)- 2(3)(2), Kochi
	Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing), Chennai	Additional/ Joint Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1, Chennai	(i) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(1), Chennai (ii) Deputy/ Assistant
			Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing Officer)-1(2), Chennai

		A 11'.' 1/T '	(C) D
		Additional/ Joint	(i) Deputy/ Assistant
		Commissioner of	Commissioner of
		Income-tax (Transfer	Income-tax (Transfer
		Pricing Officer)-2,	Pricing Officer)-2(1),
		Chennai	Chennai
			(ii) Deputy/ Assistant
			Commissioner of
			Income-tax (Transfer
			Pricing Officer)-2(2),
			Chennai
		Additional/ Joint	(i) Deputy/ Assistant
		Commissioner of	Commissioner of
		Income-tax (Transfer	Income-tax (Transfer
		Pricing Officer)-3,	Pricing Officer)-3(1),
		Chennai	Chennai
			(ii) Deputy/ Assistant
			Commissioner of
			Income-tax (Transfer
			Pricing Officer)-3(2),
			Chennai
	Commissioner of	Additional/ Joint	(i) Deputy/ Assistant
	Income-tax	Commissioner of	Commissioner of
	(International	Income-tax (Transfer	Income-tax (Transfer
	Taxation and	Pricing Officer),	Pricing Officer)-1,
	Transfer Pricing),	Hyderabad	Hyderabad
	Hyderabad	•	(ii) Deputy/ Assistant
	·		Commissioner of
			Income-tax (Transfer
			`
			•
			Commissioner of
			,
			Income-tax (Transfer Pricing Officer)-2, Hyderabad (iii) Deputy/ Assistant

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2014.

[Notification No. 60 / 2014/F. No. 187/29/2014 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director